न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 101/2018

1. रूमा देवी पत्नी भीमसिंह जाति गुर्जर निवासी सैनिक नगर, करौली तहसील व जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, करौली।
2. हुकमसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी विरवास तहसील करौली जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली, मु0न0 05/2015 निर्णय दिनांक 14.08.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल
2. रेस्पो0 सं0 1 की ओर से पेरोकार सरकार

13.1.21
अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय **दिनांक 13.01.2021.**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 05/2015 निर्णय दिनांक 14.08.2018 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी नम्बर 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 178/2 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा ग्राम विरवास तहसील करौली में स्थित है। जिसके लिए राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई रास्ता आराजी पर कृषि कार्य आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया व अप्रार्थी नम्बर 2 की खातेदारी की भूमि के एक तरफ बांध का पानी भरा हुआ रहता है एवं इसी तरफ दीगर व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि है। इसलिए प्रार्थीया को आराजी खसरा नम्बर 166/1 रकबा 14 बीघा 5 विस्वा ग्राम विरवास जो गैर मुमकिन बेहड है, इसमें में से 30 फुट चौडा रास्ता कृषि कार्य हेतु व कृषि साधन के आवागमन हेतु कृषि भूमि हेतु आम सडक डामर रोड तक रास्ता रिकोर्ड में नियमानुसार दिलवाया जाना न्यायोचित है। जिसकी राशि प्रार्थीया न्यायालय में जमा कराने को तैयार है। प्रार्थनापत्र के साथ मौके का उक्त खसरा नम्बरान का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी प्रस्तुत है नक्शा ट्रेस में रास्ता वाले स्थान को लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है जो आम सडक पुलिया के पास तक बताया गया है जिसके मौके की जॉच कराई जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के लिए कृषि कार्य हेतु एवं कृषि साधन एवं स्त्रोतो को आने जाने को आवागमन के लिए रास्ता दिया जाना व रास्ता भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया की आराजी को उक्त रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्य कोई रास्ता किसी भी तरह का कृषि भूमि पर जाने के लिए नहीं है। इसलिए ...ा उक्त रास्ता भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता भूमि दर्ज कराने व अमल कराने की ...ारी है। राजस्व रिकार्ड ऑफ राइटस में अंकन करवाने की इस्तदुआ चाही जाने पर ...नस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित ...र अपीलांट/प्रार्थीया ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

...अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। ...िनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

...विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अभिकथन ...कि अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 14.08.2018 पत्रावली रिकोर्ड के ...परीत व विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में न्यायालय अधीनस्थ द्वारा मौके की रिपोर्ट ...हसीलदार करौली जो कि लैण्ड होल्डर भी है उसी से तलब की गई है। जिसमें पटवारी ...ल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.05.2015 तहसीलदार करौली को दी है और तहसीलदार करौली ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.06.2015 को पेश की है। जिस में यह स्पष्ट साबित हुआ है कि अपीलांट द्वारा बताया गया स्थल ही अपीलांट की आराजी को विवाद स्थल में होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपीलांट की खातेदारी की भूमि को नहीं है। तहसीलदार जो कि रेस्पो0नं0 1 है, उसके द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नम्बर 166/1 की भूमि में होकर अपीलांट का रास्ता है और उक्त भूमि में रास्ता कायम होने से तीन खातेदारो को प्रत्यक्ष लाभ होगा और अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 178/2 की भूमि को नहीं है। विधि अनुसार स्वीकृत स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलांट रास्ता भूमि के बाबत धनराशि भी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। गैर मुमकिन बेहड की भूमि आवंटन की जा सकती है। रास्ता उपयोग को दी जा सकती है। अपीलांट उक्त भूमि का रास्ते के उपयोग में लेती चली आ रही है। बिना किसी व्यवधान के उपयोग में लेती आ रही है। अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 178/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा ग्राम विरवास तहसील करौली के कृषि भूमि को उपयोग के लिये खसरा नम्बर 166/1 रकबा 14 बीघा 5 विस्वा में से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करके, अपील स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमावा जावे। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र कमांक प.3 (52) राज. 6/12/4 दिनांक 14.06.13 की ... की गयी।

4. रेस्पो0 के विद्वान पेरोकार सरकार ने उपरोक्त तर्को का ...ध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 03.05.2015 व जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार खसरा नम्बर 166/1 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा गैरमुमकिन बेहड एवं झाड झरखंड वाले वन भूमि अंकित है जो राजकीय भूमि है, जिसमें होकर प्रार्थीया रास्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य द्वारा जो निर्णय पारित किया है। वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कानूनी भूल निहित नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई ।

...भयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का ...पान्त अवलोकन किया।

राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 वाके ग्राम बिरवास के खतौनी संख्या 01 अनुसार खसरा नम्बर 166/1 रकबा 19.05 है0 पर गै0 मु0 बेहड, झाड, झंखाड वाले वन ...ंकित है। यह राजकीय भूमि है जो पर्यावरण संतुलन व वन्य जीवों के संरक्षणके लिए ...वश्यक है। जिसमें अपीलांट रास्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा ...र्णय दिनांक 14.08.2018 विस्तृत रूप से विश्लेषण कर पारित किया गया हैं। जिसमें किसी ...कार की विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला ...लक्टर, करौली के मु0नं0 05/2015 निर्णय दिनांक 14.08.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.1.21

(राजस्व अपील प्राधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner